

August – September 2024
B. A. LL. B. (5 Y. D. C.) VII Semester Examination

PROFESSIONAL ETHICS AND PROFESSIONAL ACCOUNTING SYSTEM
PAPER V

Time 3 Hours]

[Max. Marks 80
[Min. Marks 32

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिये 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है।

Answer any five questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

1. भारतीय विधिक परिषद् का गठन किस प्रकार किया जाता है ? इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
How Bar Council of India is constituted ? Describe its functions.
2. “अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करने का दायित्व राज्य विधिक परिषद् का है।” इस कथन को समझाइए।
“State Bar Council is oblige to maintain roll of Advocate.” Explain this statement.
3. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीयन कराने हेतु किन शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है?
What conditions are necessary to fulfil for registration as an Advocate under Advocates Act, 1961 ?
4. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमानना किये जाने की दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? समझाइए।
What procedure is adopted where contempt is in the face of the Supreme Court OR a High Court ?
5. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा एक अधिवक्ता के अन्य नियोजन पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियमों का वर्णन कीजिए।
State the rules relating to the restrictions on the other employment of an Advocate framed by the Bar Council of India.
6. “वकालत व्यवसाय नहीं वरन् वृत्ति है।” समझाइए।
Explain “Advocacy is not a business but a profession.”
7. अधिवक्ता को कदाचरण के लिए देय दण्डों की समीक्षा कीजिए।
Discuss the punishment's that may be awarded to an Advocate for Professional Misconduct.
8. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अपील सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
Discuss the provisions relating to Appeal under the Contempt of Courts, 1971.
9. “न्यायालय में लम्बित दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाही का निर्दोष प्रकाशन एवं वितरण अवमानना नहीं है।” स्पष्ट कीजिए।
“Innocent publications and distribution of civil and criminal proceeding pending in the court is not contempt.” Explain.
10. अधिवक्ताओं के अधिकारों तथा कर्तव्य समझाइए तथा ‘हड़ताल’ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिए।
Explain the rights and duties of Advocates and give your view about ‘Strike’ by Advocates.